साक्षी क्रमांक -06 सुनील कुमार पैकरा
साक्ष्य प्रारंभ समयः12.20

<u>मुख्य परीक्षण द्वारा श्री न्याजी खान अतिरिक्त लोक अभियोजक ।</u>

1. मै रक्षित केन्द्र बलौदाबाजार में आरक्षक के पद पर पदस्थ हू।मेरे द्वारा अपराध क्रमांक 508/2020 धारा 294,506,323,302, भा.द.स के प्रकरण में मृतिका के द्वारा पहनी साड़ी को परीक्षण हेतु सीएचसी भाटापारा ले जाया गया था। इसी प्रकार प्रकरण में जप्तशुदा क्योरी रिपोर्ट हेतु सीएचसी भाटापारा जप्त शुदा पत्थर को ले जाया गया था। मेरे द्वारा शीलबंद पैकेट जिसमें मृतिका सहोद्रा यदु का घटना के समय पहने कपड़ा साड़ी - लाल हरा छिटदार सीएचसी भाटापारा से डॉक्टर साहब के द्वारा प्रिजर्व करने पर मेरे द्वारा थाने में प्रस्तुत करने पर उसे जप्त किया गया था जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी 13** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जे०के ० अग्रवाल अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।</u>

2- यह कहना सही है कि डॉक्टर साहब के द्वारा शीलबंद कर मुझे दिया गया था जो मैने लाकर प्रस्तुत किया था।यह कहना सही है कि डाक्टर साहब द्वारा शीलबंद करते हुए नही देखा था। यह कहना सही है कि साड़ी को भी परीक्षण हेतु शीलबंद हालत में लेकर गया था। यह कहना सही है कि थाने में मुझे शीलबंद पैकेट दिया गया था कि डॉक्टर साहब के पास ले जाओ । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा थाने में पैकेट को शीलबंद नही किया गया था।यह कहना गलत है

कि मेरे सामने पैकेट में छिट नही लगाया गया था।

साक्ष्य समाप्त समयः12.30

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया।
सही होना स्वीकार किया।

(शेख अशरफ)
अपर सत्र न्यायाधीश
भाटापारा(छ 0 ग 0)

मेरे निर्देश पर टंकित

(शेख अशरफ)
अपर सत्र न्यायाधीश
भाटापारा (छ 0 ग 0)